



# भारत का राजपत्र

# The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30102021-230848  
CG-DL-E-30102021-230848

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4168]  
No. 4168]

नई दिल्ली, शनिवार, अक्टूबर 30, 2021/कार्तिक 8, 1943  
NEW DELHI, SATURDAY, OCTOBER 30, 2021/KARTIKA 8, 1943

विदेश मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 29 अक्टूबर, 2021

**का.आ. 4529(अ).**—केंद्रीय सरकार संयुक्त राष्ट्र (सुरक्षा परिषद) अधिनियम, 1947 (1947 का 43) की धारा 2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इराक आदेश, 2016 संबंधी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद संकल्प के कार्यान्वयन का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात्-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ- (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम इराक संबंधी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद संकल्प का कार्यान्वयन (द्वितीय संशोधन) आदेश, 2021 है।

(2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा।

2. इराक आदेश, 2016 संबंधी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद संकल्प का कार्यान्वयन की अनुसूची में, उपांचंद 2 में “ख. संगठन एवं अन्य समूह” से संबंधित शीर्षक के अधीन, प्रविष्टियों आईक्यूई. 013, आईक्यूई. 014, आईक्यूई. 016, आईक्यूई. 019, आईक्यूई. 022, आईक्यूई. 048, आईक्यूई. 067, आईक्यूई. 077, आईक्यूई. 084, आईक्यूई. 087, आईक्यूई. 091, आईक्यूई. 097, आईक्यूई. 0110, आईक्यूई. 0114, आईक्यूई. 0115, आईक्यूई. 0135, आईक्यूई. 0142, आईक्यूई. 0148, आईक्यूई. 0150, आईक्यूई. 0151, आईक्यूई. 0154, आईक्यूई. 0155, आईक्यूई. 0158, आईक्यूई. 0159, आईक्यूई. 0160, आईक्यूई. 0185, आईक्यूई. 0186 और प्रविष्टि संख्या आईक्यूई. 0190 का लोप किया जाएगा।

[फा. सं.यू. II/152/32/2015]

प्रकाश गुप्ता, संयुक्त सचिव (संयुक्त राष्ट्र राजनीतिक)

**टिप्पणी:** मूल आदेश भारत का राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, भाग (ii) में अधिसूचना संख्या का.आ. 2272 (अ), तारीख 30 जून, 2016 द्वारा प्रकाशित किया गया था और अधिसूचना संख्या का.आ. 2818 (अ) तारीख 13 जुलाई, 2021 द्वारा संशोधित किया गया।

## MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

### ORDER

New Delhi, the 29th October, 2021

**S.O. 4529(E).**— In exercise of the powers conferred by section 2 of the United Nations (Security Council) Act, 1947 (43 of 1947), the Central Government hereby makes the following order further to amend the Implementation of the United Nations Security Council Resolution on Iraq Order, 2016, namely:-

1. Short title and commencement.- (1) This Order may be called the Implementation of the United Nations Security Council Resolution on Iraq (Second Amendment) Order, 2021.  
(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.
2. In the implementation of the United Nations Security Council Resolutions on Iraq Order, 2016, in the Schedule, in Annexure 2, under the heading “B. Entities and other groups”, entries IQe.013, IQe.014, IQe.016, IQe.019, IQe.022, IQe.048, IQe.067, IQe.077, IQe.084, IQe.087, IQe.091, IQe.097, IQe.110, IQe.114, IQe.115, IQe.135, IQe.142, IQe.148, IQe.150, IQe.151, IQe.154, IQe.155, IQe.158, IQe.159, IQe.160, IQe.185, IQe.186, and entry IQe.190 shall be omitted.

[F. No. U. II/152/32/2015]

PRAKASH GUPTA, Jt. Secy. (United Nations Political)

**Note:** The principal Order was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), vide notification number S.O. 2272(E), dated the 30th June, 2016 and further amended vide notification number S.O. 2818(E), dated the 13th July, 2021.